बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
–:अधिसूचना:–

संचिका संख्या :–06/अ0–03–08/2012 पटना, दिनांक–

मो0 शाहिक, राज्य–कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय प्रमण्डल, पटना को वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–8043/वि0 दिनांक–11.10.2017 की कंडिका–3 (G) (i) एवं लीव ट्रेवल कान्सेसन नियमावली, 1986 के परिशिष्ट के कंडिका–7 (1) के आलोक में ब्लॉक वर्ष 2022–2025 में अनुमान्य छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) को अग्रणित करते हुए अगले ब्लॉक वर्ष–2026–29 के प्रथम वर्ष में दिनांक–17.10.2026 से 25.10.2026 तक की अवधि में सपरिवार जम्मू–कश्मीर भ्रमण करने हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुभोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 06/अ0–03–08/2012 3696 पटना, दिनांक–18/09/26

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा–I), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/वरीय कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/वरीय पदाधिकारी, लेखा शाखा, मुख्यालय, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (अंकेक्षण), केन्द्रीय प्रमण्डल, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना एवं मो0 शाहिक, राज्य–कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

18.09.2026

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग
बिहार, पटना।